रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 387] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 25, 1991/कार्तिक 3, 1913

No. 387] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 1991/KARTIKA 3, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1991

अधिसूचना

सा. का. नि. 649(अ):— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूरदर्शन महानिदेशालय में लेखा अधिकारी (समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरदर्शन महानिदेशालय लेखा अधिकारी (समूह "ख" राजपत्रित अननुसचिवीय) भर्ती नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान. उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति:—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
लेखा अधिकारी	1* (1991) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय	2375-75 3200-द.रो. 100-3500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाएगा।
11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण / स्थानान्तरण	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण स्थानान्तरण (1) केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर लेखा अधिकारी का सदृश पद धारण किए हुए हैं या जो 1640—2900 रुपये के वेतनमान में कनिष्ठ लेखा अधिकारी या लेखापाल या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं और साथ ही जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है, या (2) किसी भी संगठित लेखा विभाग से नियमित लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारी या

11	12
	(3) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो 2000–3500 रुपये के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं और साथ ही जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में रोकड़ तथा लेखा संबंधी कार्यों में प्रशिक्षण या समतुल्य प्राप्त किया है तथा जिन्हें रोकड़ लेखा और बजट संबंधी कार्यों का अनुभव है । (4) किसी भी संगठित लेखा विभाग से अधीनस्थ लेखा सेवा का ऐसा लेखाकार जिसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर 5 वर्ष सेवा की है । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
13	14
लागू नहीं होगा	स्थानान्तरण के आधार पर पद भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 501/3/91 टीवी(ए)]

एम. दामोदरन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 3rd September, 1991

NOTIFICATION

G.S.R. 649(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accounts Officer (Group 'B' Gazetted Non-Ministerial) in DG, Doordarshan, namely:—

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the DG, Doordarshan Accounts Officer (Group 'B' Gazetted Non-Ministerial) Recruitment Rules, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
Accounts Officer	1* (1991)	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2375-75-3200-EB-100-3500.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

*Subject to variation dependent on workload.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of rectt. Whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by variouse methods.	In case of rectt. by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Deparimental Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making rectt.
9	10	11	12	13	14
Not applicable	Not applicable	Transfer on deputation/ transfer.	Transfer on deputation/ transfer: (i) Officers under the Central Government holding analogous posts of Accounts Officer on a regular basis or posts of Junior Accounts Officer/Accountant or equivalent in the pay scale of Rs. 1640-2900 with 5 years' regular service in the grade; or (ii) Regular Accounts/Audit Officers from any of the organised Accounts Departments; or (iii) Officers of the Central Government holding posts in the pay scale of Rs. 2000-3500 or equivalent on a regular basis with 3 years' regular service in the grade and who have undergone training in Cash and accounts work in the Institute of Secretarial Training and Management or equivalent and possessing experience in cash accounts and Budget work; or.	Not applicable	Consultation with the Commission necessary while filling the post on transfer basis.

9	10	11	12	13	14
			(iv) Subordinate Accounts Service Accountants with 5 years' regular service in the grade from any of organised Accounts Departments. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of Central Government, shall ordinarily not exceed 3 (three) years.		

[File No. 501/3/91-TV(A)]

M. DAMODARAN, Jt. Secy.

2837 GI/91—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controllor of Publications, Delhi-110054, 1991